लखनऊ विकास प्राधिकरण

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

भाग–स

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

संख्या :– 10/AE-2/AA-(02)/2021-22 दिनांक :– 31/1/2022

श्री एम0के0 पोद्दार एवं श्री नितिन अग्रवाल, निदेशक, मेसर्स पोद्दार रियल स्टेट प्रा0लि0 के द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–138 सेक्टर–डी–1 आशियाना, कानपुर रोड़ योजना, लखनऊ पर कराये गये व्यवसायिक/मल्टीप्लेक्स निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है। निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति दो भागो (ए+बी) में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी थी। पूर्व में आवेदक द्वारा परमिट संख्या–41277 दिनांक 23.02.2017 द्वारा व्यवसायिक/मल्टीप्लेक्स का मानचित्र बेसमेन्ट (पार्किंग एवं सर्विसेज) लोवर ग्राउण्ड (पार्किंग एवं हाईपर स्टोर, अपर ग्राउण्ड (शाप), प्रथम तल (शाप) द्वितीय तल (गेम, बार, रेस्टोरेण्ट, किचन, कियास्क) एवं तृतीय तल पर (सिनेमा) का मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। आवेदक द्वारा स्थल पर निर्माण में विचलन होने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से शमन मानचित्र प्लान बी की नयी प्रस्तावना सहित स्वीकृत कराया गया था जिसका परमिट संख्या–MAP20180305151410420 दिनांक 01.10.2019 है परन्तु वर्तमान में केवल ब्लाक ''ए'' पर ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसी भाग पर ब्लाक ''ए'' का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है में दिये गये प्रमाण–पत्रों का परीक्षण श्री इम्तियाज अहमद, अवर अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–MAP20180305151410420 दिनांक 01.10.2019 को शमन मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रदान की गयी अनुमति दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है।

शर्ते/प्रतिबन्ध :–

1. पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–MAP20180305151410420 दिनांक 01.10.2019 में अंकित शर्तो/प्रतिबन्धो का पालन करना होगा।
2. संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. अग्निशमन विभाग एवं अन्य विभागो की प्रदत्त अनापत्तियों में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का सदैव पालन करना होगा तथा नियमानुसार अग्निशमन उपकरणों के क्रियाशील होने के सम्बन्ध में समय–समय पर अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
4. आवंटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. ब्लाक–बी के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत मानचित्र में अंकित समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
6. सिनेमा संचालन हेतु नियमानुसार मनोरंजन कर विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन करना होगा एवं प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
7. यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त निर्माण कराया जाता है तो उसका शमन मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।
8. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

हस्ताक्षर : ....

पदनाम : सहायक अभियन्ता, जोन–2

कार्यालय की मोहर : ....

D/zone 2/Purta Praman Latter